

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज०)

अपील संख्या
12/09/2025

रजि० न०
2025/116

प्रवेश तिथि
10.03.2025

निर्णय दिनांक
05.05.2025

1.सरकार जरिये विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी, अलवर।

—प्रार्थी

बनाम

1.श्री सुरेश सैनी पुत्र श्री रामहेत सैनी, निवासी ग्राम बीजवाड चौहान माली का बास, मालाखेडा जिला अलवर।

—अप्रार्थी

प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने बाबत।

उपस्थित:—

01. श्री प्रवर्तन अधिकारी

—विभागीय प्रतिनिधि

—निर्णय:

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा कथित किया गया है कि जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 23.09.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी बहगराए श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग की जांच हेतु श्री सुरेश सैनी पुत्र श्री रामहेत सैनी, निवासी ग्राम बीजवाड चौहान माली का बारा, मालाखेडा, जिला अलवर की सैनी मिष्ठान भण्डार, बरा स्टैण्ड, मालाखेडा पर स्थित दुकान पर पहुंचे।

मौके पर श्री सुरेश सैनी पुत्र श्री रामहेत सैनी, निवासी ग्राम बीजवाड चौहान माली का बास, मालाखेडा, जिला अलवर उपस्थित मिले। श्री सुरेश सैनी पुत्र श्री रामहेत सैनी की दुकान पर 5 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री सुरेश सैनी पुत्र श्री रामहेत सैनी द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री सुरेश सैनी के द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 5 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 5 घरेलू गैस सिलेण्डर को मै० ओमशिव इंडेन, मालाखेडा के प्रतिनिधि श्री रामप्रसाद पुत्र श्री फत्तूराम को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 5 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी ने न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस 117 दिनांक 10.02.2025 के क्रम में अपने जवाब में निवेदन किया कि श्री विनोद कुमार जुनेजा प्रवर्तन अधिकारी अलवर ने श्रीमान् जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 23.09.2024 को हमारी शोप सैनी मिष्ठान भण्डार मालाखेडा में स्थित दुकान पर पहुंचे जहाँ पर घरेलू गैस के पाँच सिलेण्डर रखे हुई थे, जो कि हमारे एवं अन्य पड़ोसियों के घरेलू सिलेण्डर हैं जिनको भरवाने के लिये लाकर

न्यायालय
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

रखा गया था। वहाँ पर गैस सिलेन्डर भरने वाली गाडी आती है इसलिये वहा पर रखा गया था। अतः वहा पर रखने की हमसे भूल हुई और इन सिलेन्डरों का व्यवसाहिक कार्य में उपयोग नहीं करते हैं इसलिये हमें माफी दी जावे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व जवाब/बहस पर मनन किया। प्रार्थी, प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 23.09.2024 को दुकान का निरीक्षण किया गया। दौराने जांच मौके पर श्री सुरेश रौनी पुत्र श्री रामहेत सैनी, निवासी ग्राग बीजबाड चौहान माली का बास, मालाखेडा, जिला अलवर उपस्थित गिले। वक्त जांच मौके श्री सुरेश रौनी पुत्र श्री रामहेत सैनी की दुकान पर 5 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले, जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। अप्रार्थी श्री सुरेश सैनी द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी श्री सुरेश सैनी के द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी द्वारा भी नोटिस के जवाब में कोई खास तथ्य पेश नहीं किए गए हैं। प्रार्थना पत्र धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जवाब दिए गये 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी अलवर को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें एवं अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि जमा राजकोष कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)